प्रेस विज्ञप्ति
31.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय, शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने कॉर्वियो कॉइन (केआरओ) क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 17(1) के तहत 28.10.2026 को चंडीगढ़, मोहाली और ज़ीरकपुर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी अभियान के दौरान संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों, कई डिजिटल उपकरणों और बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड सहित विभिन्न अपराधसंकेती दस्तावेज तथा ₹72 लाख नकद जब्त किए गए। जांच से पता चला है कि अतुल सूद ,जो निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाली धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी योजना के कथित मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा का करीबी सहयोगी है, सुभाष शर्मा से मिलने दुबई गया था और उसके लिए सम्मेलनों व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल था। ये गतिविधियां धोखाधड़ी वाली योजना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी जारी रखी गई थीं। तलाशी अभियान के दौरान अतुल सूद को गिरफ्तार किया गया और 29.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय,पीएमएलए शिमला के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 05.11.2026 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी योजना से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के परिसरों पर 13.12.2025 और 15.06.2026 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप अपराधसंकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण तथा लगभग ₹1.5 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियां जब्त की गई थीं।

मामले के संबंध में, सुभाष शर्मा के विभिन्न सहयोगियों हेम राज, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा, मिलन गर्ग और मासूम जुनेजा को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय, शिमला के समक्ष दायर की जा चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुलिस द्वारा सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। जांच से पता चला कि सुभाष शर्मा ने अपने सहयोगियों ,हेम राज, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा और अन्य के साथ मिलकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना चलाई, जिसमें कॉर्वियो कॉइन (केआरओ) में निवेश करने पर सुनिश्चित उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित किया गया। यह योजना पोंजी मॉडल पर काम करती थी, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था। बरामद डिजिटल डेटा से संकेत मिला है कि इस धोखाधड़ी से 2.48 लाख से अधिक उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं, जिसमें 219 मिलियन

अमेरिकी डॉलर से अधिक का लेनदेन और निवेशको का लगभग ₹500 करोड़ का अनुमानित नुकसान शामिल है।

जांच से पता चला है कि नए निवेशकों से एकत्र किया गया धन मुख्य रूप से नकद में प्राप्त किया जाता था और संबंधित टीमों के नेताओं को सौंपा जाता था, जहां से इसे अंततः विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा सहित सुभाष शर्मा और उसके सहयोगियों तक पहुंचाया जाता था। यह भी खुलासा हुआ कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पर्याप्त राशि का भुगतान नकद में किया गया और पंजीकृत मूल्य वास्तविक मूल्य से काफी कम दिखाए गए थे। नए निवेशकों से प्राप्त धन का एक छोटा हिस्सा कई बैंक खातों, फर्जी फर्मों और बिचौलियों के माध्यम से घुमाया गया तथा इसके स्रोत और आवाजाही को छिपाने के लिए आंशिक रूप से क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया गया।

फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाला का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा हजारों निवेशकों को ठगने और उन्हें भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के बाद दुबई भाग गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष सुभाष शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है।

आगे की जांच जारी है।